संख्या–ए–1– 210/दस–2011–10(49)/2008

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2012

विषयः– **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रकरणों में कोषागार स्तर पर निर्धारित प्रकियात्मक व्यवस्था के विषय में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के रख रखाव के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या जी–2–234/दस–2010–330/2008 दिनांक 04 जून, 2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में पुनः बिन्दुवार दिशा निर्देश निम्नवत् दिये जा रहे है–

(i) वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी–2–234/दस–2010–330/2008 दिनांक 04–06–2010 के कमांक 1,3,4 एवं 6 में वर्णित व्यवस्था संगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(ii) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिमाह कोषागार से किये गये आहरण का मिलान करके बी0एम0–8 विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। बी0एम0–8 के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 सम्बन्धी निर्धारित फार्म–vi विभागाध्यक्ष को भेजने, केडिट और डेविट का मिलान लेजर पासबुक, बिल रजिस्टर से किये जाने के प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनुरक्षित ट्रेजरी बिल रजिस्टर (टी0बी0आर0) बिल रजिस्टर प्रपत्र (11–सी) तथा कोषागार में प्रस्तुत बिल का वही कमांक होना चाहिए एवं यही कमांक बिल पर भी अंकित होना चाहिए। एक ट्रेजरी बिल रजिस्टर रखे जाने एवं बिल रजिस्टर पर ही

बिल स्वीकार किये जाने की स्पष्ट व्यवस्था भी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–428 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–139 में पूर्व से दी गयी है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व से विद्यमान सुसंगत नियमों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाय। शासन के निर्देशों/सुदृढ़ आदेशों का अनुपालन न करने के कारण शासन को यदि कोई हानि होती है, तो दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सुसंगत नियमों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। कृपया इसे अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के संज्ञान में लाने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

बी0एम0 जोशी
सचिव, वित्त।

संख्या–ए–1–210 (1)/दस–2011–10(49)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, श्री राजपाल, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रमख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

पी0 लाल
अनु सचिव।

177-S-G O